

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 116/2025

Kishore Kumar Chawla Son Of Late Shri Chiman Lal Chawla,
Aged About 42 Years, Resident Of Plot No. 12/508, Girdhar Marg,
Malviya Nagar, Jaipur (Raj) Presently Residing At 11/1261,
Malviya Nagar Jaipur (Raj) Office At Mahadev Dhaba, 111/200 A-
Vijaypath, Mansarovar, Jaipur (Raj)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shalin Dusad Son Of Suvalal Dusad, Resident Of A-191,
Nehru Nagar Jhotwara Road Jaipur (Raj)

-----Respondents

For Petitioner(s)	: Mr. M K Dhakar with Mr. P S Tomar
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/03/2025

अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त प्रार्थनापत्र के क्रम में तर्क है कि उनकी ओर से प्रस्तुत निगरानी में कार्यालय द्वारा आक्षेप इंगित किये गये थे। इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने दिनांक 24.10.2024 को कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों की पूर्ति के लिए दिनांक 11.11.2024 तक का समय देते हुए अनुल्लंघनीय (Peremptory) आदेश पारित किया था, जिसके अनुसरण में दिनांक 13.12.2024 को निगरानी निरस्त कर दी गई थी। उनका तर्क है कि कार्यालय द्वारा धारा 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियम के प्रमाणपत्र के संबंध में आक्षेप इंगित किया गया था, जो प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाकर आक्षेप दूर किया जा चुका है। निगरानीकार/अभियुक्त की ओर से निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अभियुक्त दो माह से अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 24.10.2024 व 11.11.2024 को वापिस लिया जावे तथा निगरानी को नंबर पर लिया जावे।

प्रार्थनापत्र प्रार्थी/निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है। निगरानी, निगरानीकार/अभियुक्त के महत्वपूर्ण अधिकारों से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यात्मक स्थिति व प्रस्तुत तर्क को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 24.10.2024 व 11.11.2024 को वापिस लेते हुए निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

(SHUBHA MEHTA),J